

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-6
संख्या-939/दो-6-2018-53(20)/2009
लखनऊ : दिनांक : 28 मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राज्यपाल अखिल भारतीय सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-1954 व चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या-3791/5-7-91-1072/91, दिनांक 02 जुलाई, 1991 सपठित शासनादेश संख्या-2206/पाँच-6-14-1(जी)/14, दिनांक 19.09.2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री महेश कुमार गुप्ता, आई0ए0एस0 को आपातकालीन परिस्थितियों में दिनांक 22.12.2017 से 10.04.2018 के मध्य स्वयं के उपचारार्थ 25 वाउचर्स के अनुसार क्रीत औषधियों पर हुए व्यय के सापेक्ष एक तिथि में रू0-750/- की सीमा के अधीन अनुमन्य धनराशि कुल रू0-8,524.30 अर्थात् रू0-8,524/- (रूपये आठ हजार पाँच सौ चौबीस मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखाशीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा, जिससे श्री महेश कुमार गुप्ता, आई0ए0एस0 का वेतन आहरित किया जाता है।


अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।

संख्या-939(1)/दो-6-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- इरला चेक अनुभाग को दो प्रतियों में मूल चिकित्सा वाउचर्स सहित।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 4- श्री महेश कुमार गुप्ता, आई0ए0एस0, प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, 30प्र0 शासन, लखनऊ।
- 5- सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3 (अधि0) को उनके पत्र संख्या-2617/20-ई-3-2018-214(विविध)/2017, दिनांक 09.05.2018 के संदर्भ में।
- 6- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

संलग्नक-यथोक्त

आज्ञा से,

(कमला सिंह यादव)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-6
संख्या-940/दो-6-2018-53(20)/2003
लखनऊ : दिनांक : 28 मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राज्यपाल अखिल भारतीय सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-1954 व चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या-3791/5-7-91-1072/91, दिनांक 02 जुलाई, 1991 सपठित शासनादेश संख्या-2206/पाँच-6-14-1(जी)/14, दिनांक 19.09.2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्रीमती डिम्पल वर्मा, आई0ए0एस0 को आपातकालीन परिस्थितियों में दिनांक 09.11.2017 से 18.03.2018 के मध्य स्वयं के उपचारार्थ 09 वाउचर्स के अनुसार क्रीत औषधियों पर हुए व्यय के सापेक्ष एक तिथि में रू0-750/- की सीमा के अधीन अनुमन्य धनराशि कुल रू0-3,910/- (रूपये तीन हजार नौ सौ दस मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखाशीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा, जिससे श्रीमती डिम्पल वर्मा, आई0ए0एस0 का वेतन आहरित किया जाता है।


अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।

संख्या-940(1)/दो-6-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- इरला चेक अनुभाग को दो प्रतियों में मूल चिकित्सा वाउचर्स सहित।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 4- श्रीमती डिम्पल वर्मा, आई0ए0एस0, प्रमुख सचिव वाहय सहायतित परियोजना विभाग, 30प्र0 शासन, लखनऊ।
- 5- सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3 (अधि0) को उनके पत्र संख्या-2180/20-ई-3-2018-102(विविध)/2017, दिनांक 09.05.2018 के संदर्भ में।
- 6- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

संलग्नक-यथोक्त

आज्ञा से,

(कमला सिंह यादव)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-6
संख्या-988/दो-6-2018-53(54)/2014
लखनऊ : दिनांक : 28 मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप


उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 यथासंशोधित-2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री अनिल कुमार, आई0ए0एस0 को उनके स्वयं के दिनांक 25.01.2018 से 27.01.2018 तक एवं दिनांक 03.02.2018 से 04.02.2018 तक डा0 विक्रम आहूजा, लखनऊ से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष क्रमशः रू0-4,010/- व रू0-26,098/- अर्थात् कुल रू0-30,108/- (रूपये तीस हजार एक सौ आठ मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखाशीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा, जिससे श्री अनिल कुमार, आई0ए0एस0 का वेतन आहरित किया जाता है।

अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।

संख्या-988(1)/दो-6-2018-तददिनांक-

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- (1) इरला चेक अनुभाग को दो प्रतियों में मूल चिकित्सा वाउचर्स सहित।
 - (2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 - (3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
 - (4) अनुभागीय आदेश पुस्तिका/कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग।
 - (5) श्री अनिल कुमार, आई0ए0एस0, प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

संलग्नक:- यथोक्त।

आज्ञा से,

(कमला सिंह यादव)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग-6

संख्या-845/दो-6-2018-53(18)/2000

लखनऊ : दिनांक : 24 मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राज्यपाल अखिल भारतीय सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-1954 व चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या-3791/5-7-91-1072/91, दिनांक 02 जुलाई, 1991 सपठित शासनादेश संख्या-2206/पॉच-6-14-1(जी)/14, दिनांक 19.09.2014 में निहित प्राविधानों के अधीन डा0 ललित वर्मा, आई0ए0एस0 को आपातकालीन परिस्थितियों में दिनांक 11.04.2018 से 26.04.2018 के मध्य स्वयं व परिवार के उपचारार्थ 03 वाउचर्स के अनुसार क्रीत औषधियों पर हुए व्यय के सापेक्ष एक तिथि में रू0-750/- की सीमा के अधीन अनुमन्य धनराशि कुल रू0-1,340;60 अर्थात् कुल रू0-1,341/- (रूपये एक हजार तीन सौ इक्तालिस मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखाशीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा, जिससे डा0 ललित वर्मा, आई0ए0एस0 का वेतन आहरित किया जाता है।

अरविन्द मोहन चित्रांशी

विशेष सचिव।

संख्या-845(1)/दो-6-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- इरला चेक अनुभाग को दो प्रतियों में मूल चिकित्सा वाउचर्स सहित।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 4- डा0 ललित वर्मा, आई0ए0एस0, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, 30प्र0 शासन, लखनऊ।
- 5- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

संलग्नक-यथोक्त

आज्ञा से,

(कमला सिंह यादव)

अनु सचिव।

✓